संख्या– 1318 /XV-3/2018-08(12)/2016

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) देहरादूनः दिनांक 11 जनवरी, 2019

विषय– **भारत सरकार के कार्यक्रम ब्लू रिवोल्यूशन : समन्वित विकास एवं मात्स्यिकी प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत "मीठा जल मात्स्यिकी (नील क्रांति)" अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–10460/मीठा जल मा०/2018–19, दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 के प्रस्तावानुसार तथा भारत सरकार के पत्र संख्या–J-1203113/18/2018-Fy, दिनांक 29.11.2018 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 4.73 हैक्टेयर ग्राम समाज के तालाबों का सुधार एवं वन टाईम इनपुट (3.93 हैक्टेयर सामान्य श्रेणी एवं 0.80 हैक्टेयर अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु) के कार्यों हेतु अनुमोदित रू० 25.86 लाख {रू० 10.956 लाख (केन्द्रांश) + रू० 1.2196 लाख (राज्यांश) + रू० 14.3284 लाख (लाभार्थी अंश)} के अनुमोदित कार्यों हेतु ब्लू रिवोलयूशनः मात्स्यिकी का समन्वित विकास एवं प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित "मीठा जल मात्स्यिकी (नील क्रांति)" योजना में संलग्न परिशिष्ठ **'क'** की तालिका में उल्लिखित कार्यों हेतु संलग्न परिशिष्ठ–**'ख'** की तालिका के स्तम्भ–1 में उल्लिखित जनपद हेतु स्तम्भ–17 के विवरणानुसार केन्द्राशं धनराशि **रू० 9.234 लाख (रू० नौ लाख, तेईस हजार, चार सौ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017/XXVII (1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं सुसंगत शासनादेशों में प्रदत्त दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(2) भारत सरकार के पत्र संख्या–J-1203113/18/2018-Fy, दिनांक 29.11.2018 एवं सुसंगत आदेशों का का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(3) आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु जारी **Allotment ID** की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(4) योजनान्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का अन्तरण **DBT** के माध्यम से किया जायेगा तथा लाभार्थियों के चयन व योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(6) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यय की सूचना (कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक) प्रतिमाह 5 तारीख तक बी०एम०–08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(8) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

क्रमशः......2

(9) किसी भी दशा में एक मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरादायित्व होगा, जो बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

(10) जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्टरूप लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र, व्यय विवरण एवं लाभार्थियों की सूची **फोटोग्राफ** सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) किसी भी क्रय/विक्रय हेतु अधिप्राप्ति (प्रोक्यौरमेन्ट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रहों के अनुसार, आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी०जी०एस०एन०डी० की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजस्व मद के अन्तर्गत अनुदान संख्या–28 में लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–01–केन्द्रीय आयोजित/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–**01 03 "मीठा जल मात्स्यिकी (नील क्रांति)"**–मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं। आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु **Allotment ID.** 5190/280/60 , दिनांक 11/01/19 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या– 1310 (1)/XV-3/2018-08(12)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार साईबर ट्रैजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद हरिद्वार।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी०एम० मिश्र)
अपर सचिव।

परिशिष्ट—क

शासनदेश संख्या— 1318 /XV-3/2018-08(12)/2016, दिनांक 11 जनवरी, 2019 का संलग्नक

मीठा जल मात्स्यिकी (नील क्रांति) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में रू० 9.234 लाख के सापेक्ष भौतिक लक्ष्यों का जनपदवार निर्धारण

1— ग्राम समाज के तालाबों का सुधार

क्र0 सं0	जनपद	ग्राम समाज के तालाबों का सुधार हेतु निर्धारित लक्ष्य (हैक्टेयर में)		
		सामान्य	अनुसूचित जाति	कुल
1—	हरिद्वार	3.93	0.80	4.73
	योग	**3.93**	**0.80**	**4.73**

2— सुधार किये गये ग्राम समाज के तालाबों हेतु वन टाईम इनपुट

क्र0 सं0	जनपद	ग्राम समाज के तालाबों का सुधार हेतु निर्धारित लक्ष्य (हैक्टेयर में)		
		सामान्य	अनुसूचित जाति	कुल
1—	हरिद्वार	3.93	0.80	4.73
	योग	**3.93**	**0.80**	**4.73**

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

परिशिष्ट–ख

शासनदेश संख्या– 1318 /XV-3/2018-08(12)/2016, दिनांक 11 जनवरी, 2019 का संलग्नक

मीठा जल मात्स्यिकी (नील क्रांति) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू० 9.234 लाख के सापेक्ष वित्तीय लक्ष्यों का जनपदवार निर्धारण

1– ग्राम समाज के तालाबों का सुधार एवं तालाब सुधार उपरान्त इनपुट

(धनराशि लाख में)

जनपद का नाम	योजनान्तर्गत कार्य	सामान्य वर्ग						अनुसूचित जाति वर्ग						योग					
		कुल लक्ष्य (हैक्टे० में)	प्रोजेक्ट धनराशि	देय अनुदान			लाभार्थी अंश	कुल लक्ष्य (हैक्टे० में)	प्रोजेक्ट धनराशि	देय अनुदान			लाभार्थी अंश	कुल लक्ष्य (हैक्टे० में)	प्रोजेक्ट धनराशि	देय अनुदान			लाभार्थी अंश
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग				केन्द्रांश	राज्यांश	योग				केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-
हरिद्वार	तालाब सुधार	3.93	13.755	4.9518	0.5502	5.502	8.253	0.8	2.8	1.512	0.168	1.68	1.12	4.73	16.555	6.4638	0.7182	7.182	9.373
	तालाब सुधार उपरान्त इनपुट	3.93	5.895	2.1222	0.2358	2.358	3.537	0.8	1.2	0.648	0.072	0.72	0.48	4.73	7.095	2.7702	0.3078	3.078	4.017
योग			**19.65**	**7.074**	**0.786**	**7.86**	**11.79**	**1.6**	**4**	**2.16**	**0.24**	**2.4**	**1.6**	**9.46**	**23.65**	**9.234**	**1.026**	**10.26**	**13.39**

नोटः–कुल रूपये नौ लाख, तेईस हजार चार सौ मात्र केन्द्राशं की धनराशि स्वीकृत
{कुल देय अनुदान (कालॅम–17 = कालॅम 5 + 11)}

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Fisheries (S014)

आवंटन पत्र संख्या - 1318/XV-3/2018-08(12)/2016, dated 11.01.2019

अलोटमेंट आई डी - S1901280160

अनुदान संख्या - 028

आवंटन पत्र दिनांक -11-Jan-2019

HOD Name - Director Fisheries (4362)

1: **लेखा शीर्षक** 2405 - मछली पालन 00 -

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं (75% के0स0)

03 - मीठा जल मात्स्किीय (नील क्रांति)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	923400	923400
	0	**923400**	**923400**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 923400

(बी0एस0 पुन्डीर)
उप सचिव
मत्स्य एवं पशुपालन विभाग
उत्तराखण्ड शासन।